



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-591 राँची, मंगलवार,

30 नवम्बर, 2021 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2021

विषय: उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखण्ड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन के संबंध में।

संख्या--01/ह०रे०ह० नि०/नियमावली-67/2021- 1160--"भारत की संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड, राज्य के उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अन्तर्गत गठित झारखण्ड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं-

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- यह नियमावली झारखण्ड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग (संशोधित) नियमावली, 2021 कहलाएगी।
- इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

3. झारखण्ड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 के अध्याय-3 (क) (2) (i) में निम्नलिखित प्रावधान है:-

- शैक्षणिक योग्यता-मान्यता प्राप्त संस्थानों से हस्तशिल्प में डिग्री स्नातक/डिप्लोमा को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- i. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त संस्थानों से हस्तशिल्प में डिग्री स्नातक/डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त डिग्री स्नातक की स्थिति में अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना एवं डिप्लोमा की स्थिति में अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

4. झारखंड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 के अध्याय-3 (ख) (2) (i) में निम्नलिखित प्रावधान है:-

- i. शैक्षणिक योग्यता- मैट्रिकुलेशन के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स, मैट्रिकुलेशन के साथ हस्तशिल्प क्षेत्र में अर्द्ध ख्याति संस्थान से दो वर्ष का कार्य अनुभव को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- i. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10 वीं के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से दो वर्ष का कार्य अनुभव तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

5. झारखण्ड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 (अधिसूचना सं0-1733 दिनांक 11.09.2013) के अन्य प्रावधान हू-ब-हू लागू रहेंगे एवं इस नियमावली के प्रावधान उक्त नियमावली के साथ संशोधित रूप में अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे ।

6. विभागीय संलेख ज्ञापांक-1117 दिनांक-12.11.2021 द्वारा झारखंड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग (संशोधित) नियमावली, 2021 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-12.11.2021 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-33 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव ।
